राजस्थान सरकार
देवस्थान विभाग

जन्माष्टमी कार्यक्रम

दिशानिर्देश

देवस्थान विभाग के अंतर्गत बडी संख्या में वैष्णव एवं कृष्ण मंदिरों की संख्या विद्यमान हैं , जिनमें विभिन्न पर्वों पर कार्यक्रम आयोजन किए जाते रहे हैं। इनमें प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्म निर्भर श्रेणी के कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी कार्यक्रम का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त निम्नानुसार होंगे-

1. इसके अंतर्गत केवल देवस्थान विभाग के अधीन प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्म निर्भर श्रेणी के कृष्ण मंदिरों में ही कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2. प्रत्येक जिले में एक मंदिर का चयन किया जाएगा और सम्भाग स्तर के मुख्यालय पर 2 मंदिरों को लिया जा सकेगा। इस प्रकार लगभग 40 मंदिरों में आयोजन किया जाएगा। (जिन जगहों पर देवस्थान विभाग के कृष्ण अथवा विष्णु के मंदिर नहीं है, वहां कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे)
3. कार्यक्रम की रूपरेखा निम्नानुसार होगी-
    - मंदिर की साफ-सफाई एवं साज सज्जा
    - गर्भगृह एवं मूर्ति का श्रृंगार
    - पूजन
        - विग्रह का पंचामृत से अभिषेक
        - तुलसी पत्र से सहस्रार्चन
        - कृष्ण की आवरण पूजा
        - कृष्ण की राजोपचार पूजा
    - भजन-कीर्तन-

4 कार्यक्रम सामान्यतः 5 से 7 बजे तक संचालित होगा, जिसे सुविधानुसार देर रात्रि तक भी किया जा सकता है, क्योंकि परम्परानुसार कृष्ण का जन्म अर्द्धरात्रि में मनाया जाता है।

5 भजन-कीर्तन का कार्य पूजन कार्य से पूर्व और पश्चात दोनों रूपों में किया जा सकता है।

- कार्यक्रम में पूजन हेतु मंत्रपाठ का दायित्व राजस्थान संस्कृति अकादमी के अंतर्गत चल रहे वेद विद्यालयों एवं संदीपनी आश्रम के आचार्यों को दिया जा सकता है। इस हेतु दिये जाने वाले मानदेय एवं अन्य व्यवस्था निम्नानुसार होगी-

क्र.सं.	व्यय मद	**व्यय प्रावधान**
1.	मंदिर की साफ-सफाई एवं साज सज्जा व गर्भगृह एवं मूर्ति का श्रृंगार	15800
2.	पूजन सामग्री	1100
3.	भोग-प्रसाद हेतु	5000
4.	टेन्ट/माईक/पेयजल आदि अन्य व्यवस्था	5000
5.	प्रचार/प्रसार, आमंत्रण पत्र, फ्लेक्स आदि पर	2000
6.	आचार्य दक्षिणा	1100
	कुल	**30000**

नोटः- कार्यक्रम में धनराशि की व्यवस्था विभाग के निधि मद से की जाएगी। इसमें यदि किसी स्थान पर दो आचार्यों की आवश्यकता होगी तो उनके निमित्त 1100/- रुपये मंदिर की साफ-सफाई एवं साज सज्जा व गर्भगृह एवं मूर्ति का श्रृंगार की राशि में से दी जा सकेगी।

1 5100/ रुपये के दानदाता को कार्यक्रम का यजमान बनाया जा सकता है। इनकी संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। इन्हें सहभागिता का को प्रशस्ति पत्र दिया जाना है

2 इस कार्यक्रम में बच्चों की राधा कृष्ण के रूप में सज्जा की प्रतियोगिता भी रखी जा सकती है। उनमें समस्त को प्रशस्ति पत्र दिया जाना है तथा प्रथम तीन विजेताओं को पदक भी दिये जा सकते है।

3 कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व कुछ प्रमुख स्थलों पर इस संबंध में पोस्टर/बैनर लगाये जाने होंगे। ऐसे स्थलों में आयोजन हेतु चयनित मन्दिरों के अतिरिक्त अन्य प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों के पास रेलवे स्टेशन,

बस स्टेण्ड, जिला कलक्टर कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी कार्यालय , पंचायत समिति कार्यालय , नगरपालिका कार्यालय व चिकित्सालय प्रांगण में पोस्टर लगाये जा सकते है। चूंकि इसमें प्रतियोगिता भी रखी गई है, अतः इसमें उचित होगा कि पोस्टर के नीचे सम्पर्क सूत्र भी अंकित किया जाए। इसमें देवस्थान विभाग के चयनित मंदिर के नाम के अतिरिक्त सहायक आयुक्त , निरीक्षक एवं राजस्थान संस्कृत अकादमी के समन्वयक के दूरभाष नम्बर अंकित किए जा सकते हैं। (प्रारूप संलग्न है)

4 इस कार्यक्रम के आयोजन में जनप्रतिनिधिगण एवं जन-सामान्य की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रति जिला न्यूनतम 1 हजार आमंत्रण पत्र मुद्रित कर वितरण हेतु प्रेषित किये जा रहे है। इनका वितरण देवस्थान विभाग के अधिकारी , पुजारी, प्रबन्धक आदि के अतिरिक्त जिला प्रशासन व नगरपालिका व पंचायत समिति के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाय। आमंत्रण पत्र के पीछे भी बैनर के उक्त बिन्दुओं का अंकन किया जा सकता है , ताकि जन सामान्य को इसका पता रहे।

5 इस कार्यक्रम के आयोजन में जनप्रतिनिधिगण एवं जन-सामान्य की भागीदारी अपेक्षित है। देवस्थान विभाग के अंतर्गत सहायक आयुक्त कार्यालय सामान्यतः संभाग स्तरीय मुख्यालयों पर ही विद्यमान हैं, अतः इनके आयोजन में जिला प्रशासन की भूमिका भी आवश्यक होगी।

6 कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व मंदिर के पुजारियों , व्यवस्थापकों, गणमान्य नागरिकों, दानदाताओं आदि की बैठक भी बुलाई जा सकती है , जिसमें उन्हें कार्यक्रम से सूचित करते हुए उनसे समन्वय और सहयोग की अपेक्षा की जा सकती है।

7 इस कार्यक्रम में विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली आयोजन राशि सीमित है इसमें जनप्रतिनिधियों एवं दान दाताओं के माध्यम से अतिरिक्त राशि का प्रबन्धन किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाली अतिरिक्त राशि का उपयोग मंदिर के श्रृंगार , मूर्ति के भोगराग , कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार , श्रद्धालुओं हेतु प्रसाद वितरण , आयोजन हेतु आए विद्वानों के बेहतर भोजन प्रबन्धन , आयोजन स्थल पर सुविधा विकास आदि हेतु किया जा सकता है। कार्यक्रम के लिए आवश्यक वीडियोग्राफी ,

फोटोग्राफी, लाईटिंग, माइक/लाउडस्पीकर आदि की व्यवस्था में इस प्रकार का सहयोग विशेष आवश्यक होगा।

8 कार्यक्रम के समय मंदिर में विशेष दान पात्र आरती के थाल के रूप में भी रखा जा सकता है जिसमें प्राप्त राशि का उपयोग कार्यक्रम पर हुए व्यय के पुनर्भरण/अतिरिक्त सुविधाओं के विस्तार एवं मंदिर के विकास हेतु किया जा सकता है। इस हेतु कार्यक्रम के आयोजन के उपरान्त सबके समक्ष दानपात्र खोला जाकर अथवा राशि की गणना की जाकर उसका उपयोग किया जा सकता है।

9 जिन मंदिरों में अधिक श्रद्धालुओं के आने की सम्भावना है , वहां पुलिस के माध्यम से आवश्यक कानून व्यवस्था एवं ट्रैफिक नियंत्रण की कार्यवाही की जाय।

10 कार्यक्रम के फोटोग्राफ एवं वीडियो विभागीय अधिकारी अथवा जिला प्रशासन द्वारा देवस्थान विभाग के मेल आईडी devasthan@hotmail.com या devasthanrajasthan@gmail.com पर भेजे जा सकते है। उपयुक्त फोटोग्राफ्स को देवस्थान विभाग के फेसबुक पेज https://www.facebook.com/devasthanrajasthan/ पर भी अपलोड किया जा सकता है।

11 कार्यक्रम के सफल आयोजन के उपरान्त समस्त आयोजकों को स्मृति-चिह्न भी दिये जाने उचित होंगे। इस हेतु देवस्थान विभाग द्वारा प्रशस्ति पत्र मुद्रित करा कर जिला प्रशासन के पास वितरण हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं। आवश्यकतानुसार श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए पुरस्कार/पारितोषिक की भी व्यवस्था की जा सकती है।

12 उक्त कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में किसी समस्या या समाधान के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता से वार्ता की जा सकती है। इसके अन्तर्गत देवस्थान विभाग के अधिकारियों के दूरभाष नम्बर संलग्न हैं।

कार्यक्रम के लिए दान दाताओं और प्रायोजकों के सुलभ सन्दर्भार्थ करणीय कार्यों की सूची

Annexture -2

क्र.सं.	**कार्य**	**दानदाता/प्रायोजक**	**सहयोग राशि**
1	मंदिर के श्रृंगार, मूर्ति के भोगराग आदि हेतु		
2	टेन्ट, कुर्सी, दरी, छाया, लाईनिंग व्यवस्था आदि हेतु		
3	लाईटिंग, माइक/लाउडस्पीकर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी आदि हेतु		
4	कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार पोस्टर बैनर हेतु		
5	श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण हेतु		
6	आयोजन के लिए आए विद्वानों के बेहतर भोजन प्रबन्धन उपयुक्त दक्षिणा आदि हेतु		
7	मंदिर/आयोजन स्थल पर सुविधा विकास आदि हेतु		
8	अन्य कार्यां हेतु		